

राजस्थान सरकार  
सामान्य प्रशासन (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक :-प.13(1)साप्र/2/16

जयपुर, दिनांक : 9 8/16

—: आदेश :-

श्री जय प्रकाश यादव, ऑडिट निरीक्षक, सहकारिता विभाग जयपुर को इस विभाग के आदेश संख्या प.20(1)साप्र/2/2004 दिनांक 13.02.2004 के द्वारा राजकीय आवास संख्या एफ-488, गांधीनगर आवंटित किया गया था, जिसमें वह दिनांक 25.02.2004 से काबिज है। श्री यादव का जयपुर में स्वयं का निजी आवास चन्द्रवाटिका पांच्यावाला पृथ्वीराजनगर, जयपुर में होने के कारण एवं 15/09/2016 से राजस्थान स्टेट ब्रेवरेज कॉरपोरेशन लि0, जयपुर में चयन होने से मूल विभाग से रिलीव होने के कारण उपरोक्त तथ्यों को छिपाने व आवंटन शर्तों का उल्लंघन होने के कारण आवंटित राजकीय आवास संख्या एफ-488, गांधीनगर का आवंटन आदेश तुरन्त प्रभाव से एतद्वारा निरस्त किया जाता है। श्री यादव से 15/09/2016 से अवैध रूप से राजकीय आवास में रहने के कारण नियमानुसार वसूली की जायेगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,

- ६ -

(गौरव बजाड़)  
शासन उप सचिव

**प्रतिलिपि निम्नांकित को सुचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है :-**

1. जिला कलक्टर, जयपुर।
2. निदेशक, सम्पदा विभाग, मिनी सचिवालय, जयपुर।
3. रजिस्ट्रार, सहकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. निदेशक, राजस्थान स्टेट ब्रेवरेज कॉरपोरेशन लि0, जयपुर।
5. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, जयपुर शहर/ग्रामीण, जयपुर।
6. अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, नगर खण्ड-III, मुख्यालय, जयपुर को भेजकर लेख है कि श्री जय प्रकाश यादव को उक्त आदेश आज ही तामिल करवाकर उक्त आवास तत्काल रिक्त करावें तथा रिक्त नहीं होने की स्थिति में इस विभाग को आदेश संख्या पं.14(1)साप्र/2/2014 दिनांक 4.6.2014 के क्रम में जिला कलक्टर न्यायालय में प्रकरण दर्ज करा, बेदखली की कार्यवाही अमल में लाएं।
7. अधिशाषी अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, गांधीनगर जयपुर।
8. अधिशाषी अभियन्ता, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, रामबाग सर्किल, जयपुर।
9. ग्रामर सहायक, सामान्य प्रशासन (ग्रुप-3 विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर-ट्टाणा) उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की वेब साईट पर अपडेट करने का श्रम करावें।
10. श्री जय प्रकाश यादव ऑडिट निरीक्षक, सहकारिता विभाग जयपुर को प्रेषित कर उक्त आवास को तत्काल रिक्त कर सूचना इस विभाग को भिजवावें।
11. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, साप्रवि।
12. रक्षित पत्रावली।

शासन उप सचिव